फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर नगर जयपुर बनाम Om Motors Prop. Ravi Kumar Agarwal

किस्म मुकदमा:—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर ...14... सन् 2026

GCMS No. 2026/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2026	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री एल.एन. समारिया प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर नगर जयपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1. M/s Om Motors, Prop-Sh. Ravi Kumar (Borrower) Agarwal S/o Sh. Om Prakash Agrawal Address- Near Choti Railway Line, Kali Mai Road, Dholpur, Raj. 328021 2. Sh. Ravi Kumar Agrawal S/o Om Prakash Agrawal Proprietor Of M/s Om Motors (Borrower & Mortgagor) Address- Near Choti Railway Line, Kali Mai Road, Dholpur, Raj. 328021 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 14.05.2018 को cash credit account No. 61280471906 रूपये 25,00,000, Fitl Covid-19 Accont No. 39606154310 रूपये 9,19,000 कुल 34,19,000 रूपये का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:— श्री रवि कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल की एक आवासीय सम्पत्ति जो कि प्लॉट नम्बर 5ए (पुराना प्लॉट नम्बर 01ए), छोटी रेलवे लाईन कासिंग, काली माई मन्दिर के पास, धौलपुर जिला धौलपुर पर स्थित है। जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 33.05 वर्गगज है। उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाऐ निम्नानुसार है उत्तर में— भूखण्ड संख्या 2ए, दक्षिण में — 20 फुट चौडा रास्ता, पूर्व में— भूखण्ड संख्या 1, पश्चिम में — 10 फीट चौडा रास्ता ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.10.2020 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 27.10.2021 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 36,01,610/— दिनांक 08.05.2025 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security	

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पति श्री रवि कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल की एक आवासीय सम्पत्ति जो कि प्लॉट नम्बर 5ए (पुराना प्लॉट नम्बर 01ए), छोटी रेलवे लाईन क्रासिंग, काली माई मन्दिर के पास, धौलपुर जिला धौलपुर पर स्थित है। जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 33.05 वर्गगज है। उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाऐ निम्नानुसार है उत्तर में– भूखण्ड संख्या 2ए, दक्षिण में – 20 फुट चौडा रास्ता, पूर्व में– भूखण्ड संख्या 1, पश्चिम में – 10 फीट चौडा रास्ता जिसका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक ....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,